

## शपथ- पत्र ( जन्म )

मैं..... पुत्र/पत्नी श्री ..... उम्र..... वर्ष. जाति ..... निवासी.....  
.....तहसील परबतसर जिला नागौर (राज.) का रहने वाला निम्न प्रकार बयान करता/करती हूँ कि:-  
1 यह कि श्रीमती (माता का नाम ) ..... ने एक जीवित लडका/ लडकी (आवेदक से सम्बन्ध...  
..... का है) जिसका नाम..... लिंग पुरुष/ स्त्री जन्म तिथि..... जन्म स्थान .....  
पिता का नाम..... माता/पिता का स्थाई पता..... को स्थान में  
जन्म दिया है।  
2 यह कि लडका/लडकी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता- पिता व मेरे नाम व पते के  
दस्तावेज संलग्न कर रहा /रही हूँ।  
3 यह कि शपथ पत्र मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।  
4 इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।  
5 यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक ..... से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी  
रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज  
करवाऊंगा/ करवाऊँगी।  
दिनांक.....

अंगुठा निषान/हस्ताक्षर

### शपथग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन- मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र मैं किसी प्रकार की असत्यता नहीं है अगर भविष्य  
मे कोई असत्यता पाई जाती तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ ईश्वर साक्षी है।

अंगुठा निषान/हस्ताक्षर

### प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ ग्रहिता श्री/श्रीमति..... पुत्र / पत्नी श्री .....  
..... को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा जो इन्होंने शपथ पत्र में अंकन किया है वह मेरी जानकारी अनुसार सही व  
सत्य है।

हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पता.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पता.....

पदनाम.....

### आदेश पत्र

उपयुक्त आवेदन द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के विवरण एवं उपयुक्त 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाणिकरण के आधार पर  
रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु नगर निगम/नगरपालिका/ग्रामपंचायत को आदेशित किया जाता है की जन्म/ मृत्यु रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1969 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9 (2) के अन्तर्गत यह  
आदेशित किया जात है। किया जाता है कि उक्त जन्म के विलम्ब शुल्क 10/. रूपये लेकर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार  
द्वारा दर्ज कर लिया जावें। रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु नगर निगम/नगरपालिका/ग्रामपंचायत को आदेशित किया जाता है कि  
घटना की सत्यता की जांच कर एवं जन्म/मृत्यु दिनांक बाबत संतुष्ट होने पर प्रमाण पत्र जारी करे। जन्म/मृत्यु दिनांक  
बाबत इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई जांच नहीं की गई है। जन्म/मृत्यु दिनांक बाबत दायित्व प्रमाण पत्र जारी करने  
वाले रजिस्ट्रार का रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज कमांक..... दिनांक..... को जारी किया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
परबतसर नागौर ( राज.)